संख्या- 142 / 2024 / 605 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय:- उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा व्यय से संबंधित बीजकों के भुगतान हेतु 04- यात्रा व्यय मद में रू0 3.00 लाख, पुरातत्व निदेशालय के प्रकाशन कार्य हेतु 18-प्रकाशन मद में रू0 5.00 लाख तथा पुरातत्व निदेशालय व अधीनस्थ इकाईयों में कम्प्यूटर तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 5.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1875 /प्रथम-01 (15)/23, दिनांक 08 फरवरी, 2024, पत्र संख्या- 1874 /प्रथम-01 (14)/23, दिनांक 08 फरवरी, 2024 एवं पत्र संख्या- 1873 /प्रथम-01 (13)/23, दिनांक 08 फरवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा व्यय से संबंधित बीजकों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- **04- यात्रा व्यय मद में रू0 3.00 लाख**, पुरातत्व निदेशालय के प्रकाशन कार्य हेतु अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- **18-प्रकाशन मद में रू0 5.00 लाख** तथा पुरातत्व निदेशालय व अधीनस्थ इकाईयों में कम्प्यूटर तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय-**46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 05.00 लाख** अर्थात् **कुल धनराशि रू0 13.00 लाख** (रू0 तेरह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 03- महंगाई भत्ता मद में उपलब्ध बचतों में से **रू0 13.00 लाख** को संक्रमित कर **रू0 03.00 लाख** लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 04- यात्रा व्यय मद, **रू0 05.00 लाख** लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 18-प्रकाशन मद एवं **रू0 05.00 लाख** लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 142 /2024 / 605 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वित्त अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-605-Char-2024 Archaeology DA Reapp

विषय:- उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा व्यय से संबंधित बीजकों के भुगतान हेतु 04- यात्रा व्यय मद में रू0 3.00 लाख, पुरातत्व निदेशालय के प्रकाशन कार्य हेतु 18-प्रकाशन मद में रू0 5.00 लाख तथा पुरातत्व निदेशालय व अधीनस्थ इकाईयों में कम्प्यूटर तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 22.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	1,68,43,000 रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	1,55,43,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 30,00,000	₹ 13,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	2023-2024
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	18 (प्रकाशन)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	2023-2024
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	04 (यात्रा व्यय)	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 30,00,000	₹ 13,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-649-E-7-507-X-2023-24-दिनांक:15-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 142 /2024 / 605 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वित्त अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in